अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या-214/90-सं0शि0प0का0/2015-02सं0शि0/2015

प्रेषक,

तनवीर अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कर्यान्वयन अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 15 सितम्बर, 2015

विषयः- संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रर्दशन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय कार्य अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1541/90-सं-1-2013-66सं/1988, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर शासन स्तर से मा0 सांसदों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इसके बावजूद भी सामान्य शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। अधिकारी गण प्रायः मा0 सांसदो/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के फोन नहीं उठाते हैं और न ही कॉल बैक करते हैं। यह मा0 सदस्य एवं उनके पद के गरिमा के प्रतिकूल है।

2- मा0 सदस्यगण, विधान सभा द्वारा वर्ष 2015 के द्वितीय सत्र में मा0 विधायकों के प्रति समुचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने विषयक बिन्दु की ओर मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ ही अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निगम/उपक्रमों आदि को तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यदि विशिष्ट रूप में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो दोषी पाये जाने वाले संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(तनवीर अहमद)
विशेष सचिव

महत्वपूर्ण

संख्या 1541/90-सं-1-2013-66सं/1988

प्रेषक,

एस0 बी0 सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय कार्य अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

विषयः संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रर्दशन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

समय-समय पर शासन स्तर से मा0 सांसदों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं, इसके बावजूद शासन के संज्ञान में आया है कि मा0 सांसदों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है, इससे शासन के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है तथा दूसरी ओर शासन की जनसामान्य में छवि भी धूमिल होती है । उक्त के सम्बन्ध में मुझे आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित कराना है :-

1- शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद स्तर पर जिला-योजना, जिला पंचायत, जिला ग्राम विकास अधिकरण, नगर क्षेत्र एवं क्षेत्र पंचायत आदि की सम्पन्न होने वाली बैठकों अथवा सार्वजनिक समारोहों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला परियोजना निदेशक, अपर मुख्य अधिकारी एवं जनपदीय स्तर के विभागों के प्रमुख अधिकारी से निम्न सम्मान जन प्रतिनिधियों को प्रदान किया जा रहा है, इसी प्रकार बैठकों और समारोहों में भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा है ।
2- इसी प्रकार मा0 जन प्रतिनिधियों के सरकारी कार्यालयों में जाने पर अधिकारीगण न तो खड़े होकर सम्मान करते हैं और न ही वापस जाते समय ससम्मान विदा करते हैं ।
3- जन प्रतिनिधियों के दूरभाष भी रिसीव नहीं किये जाते है, और न ही उन्हें रिंग बैक किया जाता है ।
4- एक ही तिथि को एक ही समय पर एक से अधिक बैठकें आहूत की जाती है, बैठक तथा समारोहों की लिखित सूचना भी नहीं दी जाती है ।
5- जन प्रतिनिधियों के पत्रों की प्राप्ति की सूचना नहीं दी जाती है, और न ही उनके पत्रों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाता है ।

6- राज्य भाषा अधिनियम के अनुरूप लिखित सूचनायें हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में दी जा रही है ।

7- जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही अधिकारियों द्वारा उद्घाटन, अनावरण, शुभारम्भ एवं लोकार्पण आदि किया जा रहा है ।

8- राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारंट आफ प्रिसीडेन्स) का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है ।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाय कि मा0 सांसदों/राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति समुचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल प्रदर्शित किया जाय और उनके द्वारा दिये गये सुझावों को गम्भीरता से लिया जाय ।

3- यह भी अनुरोध है कि कृपया उक्त आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के साथ-साथ अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों व निगमों/उपक्रमों को तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु अविलम्ब आवश्यक निर्देश जारी करते हुये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

S.B. Singh. 3/12

(एस0 बी0 सिंह)

प्रमुख सचिव ।